न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 100 / 2020 — दर्ज दिनांक 13.07.2020

जी सी एम एस न0 2020 / 00189 — निर्णय दिनांक 26.05.2023

कमला देवी आदि — बनाम — गंगाराम आदि

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2022 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम सीथल पटवार हल्का सीथल के 789 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 791 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 799 रकबा 1.03 है0, ख0नं0 800 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 821 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 841 रकबा 1.60 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.80 है0 में वादीगण के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार गुढ़ागौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2022 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढ़ागौड़जी से प्राप्त पत्र कमांकः– भू.अ. / 2022 / 1945 दिनांक 20.06.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.06.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.06.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो।

(रामसिंह राजावत) 26/5/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

निर्णय आज दिनांक 26.05.2023 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:26:07 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत) 26/5/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 100 / 2020 — दर्ज दिनांक 13.07.2020

जी सी एम एस न0 2020 / 00189 — निर्णय दिनांक 26.05.2023

कमला देवी आदि — बनाम — गंगाराम आदि

दावा विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी** ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.06.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.06.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज..–............निल............... मुबलिक –.............निल................ दाबन.–............... ....निल...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.. ....निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –... ....निल...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 05 सन 2023 को जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

26/5/23

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:26:07 IST
Reason: SelfAttested